भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.03.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4179 का उत्तर

रेल परिसर में मादक पदार्थों की तस्करी

4179. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 में रेलगाड़ियों और रेल स्टेशन परिसरों से जब्त की गई गांजे की कुल मात्रा वर्ष 2024 और 2023 की तुलना में कितनी है;
(ख) इन वर्षों में दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी है और की गई गिरफ्तारियों की संख्या कितनी है;
(ग) रेलगाड़ियों और रेल स्टेशनों पर मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सतर्कता बढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए/किए जा रहे उपाय क्या हैं; और
(घ) क्या सरकार के पास देश के सभी जोनों में आरपीएफ द्वारा पिछले तीन वर्षों में जब्त किए गए स्वापक पदार्थों संबंधी आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) के मामलों को राजकीय रेलवे पुलिस, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, राजस्व खुफिया निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पंजीकृत किया जाता है। रेलवे में राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज एनडीपीएस मामलों का ब्यौरा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 'क्राइम इन इंडिया' में राज्य-वार प्रकाशित किया जाता है। डेटा को पण्य-वार जैसे गांजा, मोर्फिन आदि के अनुसार प्रकाशित नहीं किया जाता है। अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात् राजस्व खुफिया निदेशालय, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जब्त किए गए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थो

से संबंधित डेटा भी 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें रेलवे-विशिष्ट जब्ती का उल्लेख नहीं किया जाता है।

रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) को दिनांक 11.04.2019 की राजपत्र अधिसूचना के तहत एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 42 और 67 के प्रावधानों के अंतर्गत तलाशी, जब्त और गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। बहरहाल, रेल सुरक्षा बल को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामलों को दर्ज करने और उनकी जांच करने का अधिकार नहीं है। इसलिए, बरामद किए गए एनडीपीएस और रेल सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेलवे पुलिस या अन्य अधिकार प्राप्त कानून प्राप्त एजेंसियों को सौंप दिया जाता है।

रेल पुलिस बल द्वारा गाड़ियों और स्टेशनों पर ड्रग तस्करी के खिलाफ निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. **ड्रग संबंधी आपराधिक गतिविधियों की पहचान, अवरोध और उन्मूलन में संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जाती हैं।**
2. **रेल सुरक्षा बल नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) का भाग है और ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में सक्रिय रूप से शामिल है।**
3. **महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सामान की जाँच के लिए एक्स-रे बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं।**
4. **रेलवे स्टेशनों और कई सवारी डिब्बों में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।**
5. **चिह्नित संवेदनशील मार्गों और उन गाड़ियों में विशेष अभियान चलाए जाते हैं जो एनडीपीएस के परिवहन के लिए प्रवण हैं।**
6. **गाड़ियों और रेलवे स्टेशन पर प्रशिक्षित स्निफर कुत्तों का उपयोग एनडीपीएस की जाँच के लिए किया जाता है।**
7. **यात्रियों और रेलवे यात्रियों को शिक्षित करने और उन्हें संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता अभियान भी आयोजित किए जाते हैं।**

वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान, रेल सुरक्षा बल ने क्रमशः एनडीपीएस के 1,220, 1,392 और 1,716 मामले पता लगाए और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सक्षम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपे हैं।
